संयुक्त एवं पृथक परिवारिक व्यवस्था

मौजूदा दौर में पैदा होने वाली समस्याओं के हल के लिए स्थापित संस्था इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इन्डिया का बीसवाँ अंतर्राष्ट्रिय फ़िक्ही सेमिनार प्रसिद्ध इतिहासिक शहर रामपूर में दिनांक 5-7 मार्च 2011 ई0 आयोजित हुआ, इस सेमिनार में दूसरे मुद्दों के साथ संयुक्त एवं पृथक परिवारिक व्यवस्था के बारे में भी बहस की गयी और आम सहमति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए।

संयुक्त और पृथक परिवारिक व्यवस्था से सम्बन्धित लेख, उनका सार और उनके उद्देश्य को सामने रख कर वाद विवाद के बाद निम्न प्रस्ताव स्वीकार किए गए:

1- संयुक्त परिवारिक व्यवस्था हो या पृथक, दोनों का सबूत नबी सल्ल0 के समय और सहाबा के दौर से मिलता है। अतः दोनों ही व्यवस्था एवं अपने आप में वैध व सही हैं। जहां जिस व्यवस्था में शरीअत के क़ानून की रिआयत व पासदारी और मां बाप और अन्य देख भाल किए जाने वाले लोगों और विवश व मजबूर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके और हर प्रकार के झगडों व विवादों से बचा जा सके। इस व्यवस्था पर अमल करना ठीक होगा, किसी एक व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अलबत्ता यह अधिवेशन समस्त मुसलमानों से यह अपील करता है कि वारिस के देहान्त के बाद जितनी जल्दी हो सके मीरास को बांटे और सभी शरई वारिसों को उनका जायज़ हिस्सा दे दें ताकि एक दूसरे के अधिकारों का ग़लत इस्तेमाल न हो और यह अमल आपसी विवादों और नफ़रत व दुश्मनी का कारण न बन जाए। यह अधिवेशन विशेष रूप से औरतों के अधिकारों की अदाइगी की ओर मुसलमानों का ध्यान आकृष्ति कराना चाहता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक कोताहियां पाई जाती हैं।

2- संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था की बुनियाद त्याग व बलिदान और आपसी सहयोग पर है वर्ना यह व्यवस्था शेष नहीं रह सकती है और न्याय को स्थापित रखना भी बडा ज़रूरी है। अतः यदि परिवार के सभी लोग अच्छे हालात के हों तो देख भाल के लिए साथ रहनेवाले लोगों की संख्या की दृष्टि से ख़र्च देंगे और यदि कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो हर व्यक्ति अपनी आय के हिसाब से ख़र्च सहन करेगा। अलबत्ता परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि जाइज़ तरीक़े से अधिक से अधिक आय हासिल करने का प्रयास करें ताकि कमाने वालों पर बोझ न पडे।

3- जब आय और व्यय संयुक्त हों तो खर्चों के बाद बची हुई रक़म से ख़रीदी गयी चीज़ों में भी सभी लोग समान अधिकारी होंगे।

4- जब सभी भाइयों के आय के साधन अलग अलग हों और सभी ने बराबर रक़म जमा की और एक भाई ने अपनी ज्यादा आय को बचा कर अपने पास रखा तो यह भाई अपनी ज्यादा आय का स्वयं मालिक

होगा, दूसरे भाई इसके हक़दार नहीं होंगे।

5- अ- यदि परिवार के लोग किसी संधि के तहत काम करते हों तो जो भी आय होगी वह परिवार के सभी लोगों के बीच संधि के अनुसार बांटनी होगी चाहे वह घर पर काम करते हों या बाहर।

ब- यदि कारोबार एक ही हो, कुछ लोग घर पर काम करते हों और कुछ लोग बाहर तो इस हालत में कुल आय सभी लोगों के बीच बराबर बराबर बांटी जाएगी।

स- यदि अलग अलग कारोबार हो और उनके बीच किसी प्रकार की संधि न हो तो बाहर कमाने वालों की आय में घर का काम देखने वाले हक़दार न होंगे।

6- मां बाप की सेवा व देख भाल लड़कों के साथ लड़कियों पर भी उनकी हैसियत के हिसाब से वाजिब है। यदि मां को ऐसी सेवा की ज़रूरत हो जिसे कोई औरत ही कर सकती हो और बहु के अलावा कोई दूसरी निकट वाली औरत सेवा करने वाली न हो और माँ मजबूर हो, स्वयं से वह काम करने योग्य न हो तो ऐसी सूरत में बहू पर सास की सेवा वाजिब होगी।

7- संयुक्त परिवार में भी शरई पर्दे का आयोजन किया जाए, किसी ग़ैर महरम के साथ एकान्त में मिलने, हंसी मज़ाक़ और ग़ैर ज़रूरी बातों से बचना ज़रूरी है अलबत्ता सावधानी के बावजूद यदि सामना हो जाए और हर प्रकार के फ़ितने से बचने की कोशिश हो तो इसमें कोई हरज नहीं है।

8- समाज के वृद्ध और बुर्ज़ुग लोग मानव समाज के लिए बहुमूल्य दौलत हैं उनके सुख व आराम और सेवा इनसानी समाज की ज़िम्मेदारी है विशेष रूप से सन्तान और परिवार वालों की ज़िम्मेदारी है कि बूढ़ों की सेवा करें, उनका साम्मान व आदर सत्कार करें और उन्हें अपने साथ प्रेम, मुहब्बत के साथ रखें और उनकी सेवा को अपने लिए सौभाग्य समझें।

☆☆☆